संख्या-98 /2026/1101/26-3-2026-2004864

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह-I,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09अप्रैल, 2026

विषयः-डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजना प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महापुरुषों, राष्ट्रीय स्तर के समाज सुधारकों एवं सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियाँ हमारे राष्ट्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। ये मूर्तियां सार्वजनिक स्मृति, सामाजिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय योगदानकर्ताओं के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करती हैं।

वर्तमान में अनेक मूर्तियाँ निर्धारित विधिक मानकों के अनुरूप सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित हैं, जो छत्र एवं बाउंड्रीवॉल से रहित हैं। इसके कारण ये मूर्तियां मौसम की मार, अतिक्रमण एवं उपेक्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। पर्याप्त सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण के अभाव में इन प्रतिमाओं की गरिमा तथा दृश्य आकर्षण भी प्रभावित होता है।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजना लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य 31 दिसम्बर, 2025 तक स्थापित ऐसी विद्यमान मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करते हुए इन मूर्तियों को संरक्षित करना एवं इन्हें सम्मानजनक स्वरूप प्रदान करना है।

2. **योजना का उद्देश्य-** डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत समाज सुधारकों, महापुरूषों, सामाजिक न्याय के प्रणेतागण तथा सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

(1) मूर्तियों की भौतिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का संरक्षणः-

- अतिक्रमण से बचाव एवं गरिमा स्थापित करना।
- छत्र/संरचना के माध्यम से मौसम से सुरक्षा प्रदान करना।
- ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की मूर्तियों का दीर्घकालीन संरक्षण।
- पर्यावरणीय प्रभावों एवं उपेक्षा से होने वाले क्षरण को रोकना।

(2) मूर्ति स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं गरिमा-वर्धन

- प्रकाश व्यवस्था, हरियाली एवं सौंदर्यात्मक संरचनाओं द्वारा प्रतिमा स्थल को आकर्षक बनाना।
- स्वच्छ, व्यवस्थित एवं सम्मानजनक वातावरण का निर्माण।

(3) जन-जागरूकता

- नागरिकों में डॉ0 बी0आर0 आंबेडकर एवं सामाजिक न्याय के ध्वज वाहक अन्य महान विभूतियों के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना विकसित करना।
- मूर्ति स्थलों को जानकारीपरक एवं जनोपयोगी बनाना।

3. **योजना का दायरा (Scope)**- डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित समाज सुधारकों, महापुरूषों, सामाजिक न्याय के प्रणेतागण तथा सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण तथा उसके आस-पास हरियाली एवं सौंदर्यात्मक संरचनाओं का विकास किया जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थल पर वर्तमान पर लगी मूर्ति पुरानी अथवा जीर्ण-शीर्ण हो गयी हो तो उसके स्थान पर संगमरमर की नई मूर्ति स्थापित की जा सकेगी।

4. **योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य**

(i) सुरक्षात्मक छत्र का निर्माण

- यथावश्यक टिकाऊ एवं मौसम प्रतिरोधी छत्र का निर्माण।

(ii) बाउंड्रीवॉल

- अनधिकृत प्रवेश रोकने हेतु 05 फीट ऊँची बाउंड्रीवॉल/रेलिंग/फेंसिंग का निर्माण।
- आवश्यकतानुसार लॉक युक्त गेट की व्यवस्था।

(iii) सौंदर्यीकरण एवं हरियाली

- हरित क्षेत्र (Green Space) का निर्माण।
- मूर्ति के प्लेटफार्म का निर्माण।
- बैठने की व्यवस्था बेंच, पाथवे (जहाँ संभव हो)।

(iv) प्रकाश व्यवस्था

- रात्रि दृश्यता हेतु समुचित प्रकाश की व्यवस्था।
- ऊर्जा दक्षता/सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता।

(v) सूचना पट

- मूर्ति के नाम एवं इतिहास को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करता हुआ बोर्ड (साइज 3.0X2.5 फीट) (जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित)।
- सूचना पट/बोर्ड के निर्माण हेतु टिकाऊ एवं टूट-फूट रोधी सामग्री का प्रयोग।

5. **मूर्ति स्थल विकास योजना हेतु तकनीकी एवं डिजाइन मानक**
- सभी कार्य निर्धारित इंजीनियरिंग एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप होंगे।
- संरचनात्मक स्थिरता, टिकाऊपन एवं आसान अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
- स्थानीय स्थापत्य शैली एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा।

- अभिगम्यता (Accessibility) मानकों का पालन किया जाएगा।
- मूर्ति/प्रतिमा की दृश्यता (Visibility) को प्रभावित किए बिना आवश्यकतानुसार रेलिंग युक्त स्टील की सीढ़ी का निर्माण।
- मूर्तियों की छत, बाउण्ड्री, फिनिशिंग, हरियाली, सीढ़ी, प्रकाश व्यवस्था आदि हेतु, जहां तक व्यवहारिक हो, का मानकीकरण कराया जाए।

6. **वित्तीय व्यवस्था** - योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में बजट प्राविधान कराकर समाज सुधारकों, महापुरूषों, सामाजिक न्याय के प्रणेतागण तथा सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण हेतु प्रति मूर्ति/स्थल पर अधिकतम धनराशि रू0 10.00 लाख व्यय की जाएगी। प्रत्येक विधान सभा में 10 स्मारकों का चिन्हांकन किया जाएगा इस प्रकार प्रदेश की 403 विधान सभाओं के अन्तर्गत कुल 4030 स्मारकों की सुरक्षा तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा।

7. **योजना का क्रियान्वयन**- डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत निम्नवत् प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

- योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ***(परिशिष्ट-1)*** खण्ड विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिलाधिकारी को दिया जा सकेगा।
- योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित विभाग/नगरीय निकाय/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन ***(परिशिष्ट-2)*** जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित मूर्तियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तथा नगरीय क्षेत्रों में यह कार्य नगर निकाय के अधिकारी यथा-अधिशासी अधिकारी, नगर आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
- प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात छत्र निर्माण एवं स्थल विकास से सम्बन्धित आगणन जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किया जायेगा।
- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन प्राप्त होने के पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से धनराशि की मांग शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपद स्तर पर धनराशि प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था द्वारा 03 माह के भीतर छत्र निर्माण एवं स्थल विकास कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
- परियोजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण मा0 जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जायेगा।
- प्रथम चरण में प्रदेश की 403 विधान सभाओं (प्रत्येक में) स्थापित 10 मूर्तियों के स्थल विकास का का कार्य किया जायेगा।

8. **निधि निर्गमन**- डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत निधि निर्गमन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

- विस्तृत आगणन एवं तकनीकी स्वीकृति पर। ***(परिशिष्ट-3)***
- राज्य सरकार के विभागीय/स्थानीय निकायों द्वारा विभागीय वित्तीय नियमों व शर्तो के अनुसार।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य। ***(परिशिष्ट-4)***
- अंतिम किश्त, कार्य पूर्णता एवं सत्यापन के पश्चात। ***(परिशिष्ट-5)***
- राज्य सरकार से इस निमित्त निर्गत बजट प्राप्त होने की दशा में, विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

9. योजना के सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ राज्य स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समन्वय एवं नियमित समीक्षा हेतु एक समन्वय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-

स्टीयरिंग कमेटी

- मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 - अध्यक्ष
- मा0 मंत्री, न्याय विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
- मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
- मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
- मा0 मंत्री, वित्त विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
- मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
- मा0 मंत्री, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
- मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
- मा0 मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 - सचिव/सदस्य

उक्त के अतिरिक्त स्टीयरिंग कमेटी में आवश्यकतानुसार अन्य विभाग के मा0 मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

समन्वय समिति

- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन - अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन - सचिव/सदस्य

10. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजना प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

Digitally signed by
RAJESH KUMAR SINGH
Date: 09-04-2026
13:40:45

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, संस्कृति विभाग, नगर विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण विभाग, न्याय विभाग, वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, संस्कृति विभाग, नगर विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
7. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

Digitally signed by
RAJENDRA SINGH
Date: 09-04-2026
15:54:56

परिशिष्ट (Annexures)-1

आवेदन-प्रपत्र

(संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या सी0एम0-91/चार-2007-34(वि0)/07 दिनांक 03.07.2007 के क्रम में स्थापित मूर्तियों के स्थल विकास हेतु आवेदन पत्र)

1. मूर्ति का नाम : .....
2. व्यक्तित्व का नाम : .....
3. स्थान : .....
4. स्थापना वर्ष : .....
5. संरक्षक संस्था : .....
6. वर्तमान स्थिति (**Vulnerable to damage/vandalism**)
   - ☐ छत्र नहीं
   - ☐ बाउंड्री वॉल नहीं
   - ☐ क्षति की संभावना
7. योजना के अंतर्गत आवश्यकता का विवरण : .....
8. प्रस्तावित कार्ययोजना : .....
9. अनुमानित लागत (₹) : .....
10. भूमि निर्विवाद है: हाँ/नहीं

हस्ताक्षर
नाम/पद
दिनांक /मुहर

परिशिष्ट (Annexures)-2

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- निरीक्षण दिनांक व समय.....
- निरीक्षक का नाम.....
- संस्तुति/ आख्या (न्यूनतम 250 शब्दों में).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर
नाम/पद
दिनांक /मुहर

परिशिष्ट (Annexures)-3

तकनीकी प्राक्कलन

- कार्य विवरण/ मात्रा/ दर/ राशि .....
- कुल लागत (₹): .....
- तकनीकी अधिकारी का प्रमाणन .....

.....

.....

(हस्ताक्षर)
कार्यदायी संस्था
(अधिशाषी अभियन्ता)

परिशिष्ट (Annexures)- 4

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ₹..... की राशि योजना के अन्तर्गत पूर्णत: व्यय की गई है।

- कार्य प्रारम्भ होने की तिथि.....
- कार्य समाप्त होने की तिथि.....
- कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व स्थल के 05 रंगीन फोटोग्राफ (संलग्न करें)
- कार्य समाप्त होने के पश्चात स्थल के 05 रंगीन फोटोग्राफ (संलग्न करें)

अवशेष धनराशि रू० ..... कोषागार चालान संख्या..... दिनांक ..... द्वारा राज्य सरकार को वापस कर दी गई है/विभाग को बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक ..... द्वारा वापस कर दी गई है।

(हस्ताक्षर)
कार्यदायी संस्था
(अधिशाषी अभियन्ता)

परिशिष्ट (Annexures)-5

कार्य पूर्णता एवं हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र

- कार्य प्रारम्भ होने की तिथि- .....
- कार्य पूर्ण होने की तिथि- .....
- स्वीकृत लागत/वास्तविक व्यय- .....
- अनुरक्षण दायित्व- .....

(हस्ताक्षर)

कार्यदायी संस्था

नाम : .....

पदनाम : .....

मुहर :

दिनांक : .....

(हस्ताक्षर)

अधिकारी स्थानीय निकाय

नाम : .....

पदनाम : .....

मुहर :

दिनांक : .....